न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 04/17 **निर्णय दिनांकः– 15.05.2019**

1. हरपाल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति तरखान निवासी चक 10 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 16–11–2016 जिसके द्वारा आबादी में जाने हेतु चक 10 पीबी के मुरब्बा नम्बर 207/30 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02–02– बिस्वा रास्ताविधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नुरमोहम्मद का धांधला की आबादी में जाने हेतु चक 10 पीबी के मुरब्बा नम्बर 207/30 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02–02 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 207/31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में 02–02 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 207/23 के किला नम्बर

16 में 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नुरमोहम्मद का धांधला की आबादी में जाने हेतु चक 10 पीबी के मुरब्बा नम्बर 207/30 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02—02 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 207/31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में 02—02 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 207/23 के किला नम्बर 16 में 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता

कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। ऐसा आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का बिन्दु है इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा आदेश में मियांद का बिन्दु बाधक नहीं है। न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ मियांद के बिन्दु को कण्डोन करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रतियों पर एतराज नहीं किया गया। अतः इस संबंध में मूल पत्रावली तलब किया जाना आवश्यक नहीं है।

प्रकरण में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत को आधार बनाकर पटवारी रसूलसर डबेर ने मुरब्बा नम्बर 207/30, 207/31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 तथा मुरब्बा नम्बर 207/23 के किला नम्बर 16 में से रास्ता काटने के प्रस्ताव पेश किये। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार पूगल द्वारा उपखण्ड अधिकारी पूगल को पेश की गई, जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कानूनी प्रावधान के तहत उक्त आदेश जारी किया गया है। किसी खातेदार की भूमि में से रास्ता कटवाने के लिये उपनिवेशन सामान्य शर्त 8 या टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के तहत विशिष्ट प्रावधान व प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त प्रक्रिया के तहत यदि किसी खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि तक आने–जाने के लिये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तो ऐसा व्यक्ति उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी ऐसे आवेदन को दर्ज कर प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का मौका देते हुए संक्षिप्त जॉच के उपरान्त रास्ते हेतु ली जाने वाली भूमि की डीएलसी दर के दुगनी राशि के भुगतान के पश्चात् रास्ता स्वीकृत कर सकता है। अपीलाधीन आदेश में उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाकर खातेदार के पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है। अपीलांट ने इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा

निर्णित अपील परताराम बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 01—01—2017 की प्रति पेश की, जिसमें इसी प्रकार की परिस्थितियों में रास्ता स्वीकृत करने के उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेशों को विधि विरूद्व बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश अधूरा, अविवेकपूर्ण एवं मनमाना होने के कारण संधारणीय नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 16—11—2016 तथा संशोधन आदेश दिनांक 30—12—2015 को अपास्त किया जाता है।

इस प्रकरण में प्रभावित पक्षों को यदि रास्ते की आवश्यकता है तो टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के तहत अनुतोष प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतन्त्र है।

9. निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर